न्यायालय SDO DHOD

उनवान रतन कुंवर आदि बनाम गुमान सिंह आदि

मुकदमा नं. 56/2022

| | |
|---|---|
| 17/10/25 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर पत्रावली समग्र का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी/वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली मिसल पत्रावली फैसल हुक्म हस्ब का तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>राजस्व प्रार्थना—पत्र/मु.सं.— 36/2022</u>

01. रतन कंवर पुत्री नारायण सिंह
02. मनोहर कंवर पुत्री नारायण सिंह
03. सन्तोष कंवर पुत्री नारायण सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— प्रार्थीगण

बनाम

01. गुमानसिंह पुत्र नारायणसिंह
02. प्रताप कंवर बेवाह नारायणसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
03. उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
04. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति—
01. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से
02. श्री प्रभातीलाल, वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से

**—:निर्णय:—**

दिनांक—17.10.2025

वकील प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीगण/वादीगण ने आज माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष दावा बहुत ही ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है। विवादित आराजी खसरा सं. 997 रकबा 0.6700 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 गुमानसिंह के पिता व अप्रार्थी सं. 2 के पति नारायणसिंह के खाते कब्जे काश्त की भूमि है, का निर्वसीयति दिनांक 20.12.2009 को नारायणसिंह देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर—बराबर विरासतन काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की वंशावली निम्न प्रकार है—

नारायणसिंह (मृतक)

| प्रतापकंवर बेवाह (प्रति.सं.2) | रतनकंवर पुत्री (प्रार्थी सं. 1) | मनोहरकंवर पुत्री (प्रार्थी सं. 2) | गुमानसिंह पुत्र (प्रति.सं. 1) | संतोषकंवर पुत्री (प्रार्थी सं. 3) |
|---|---|---|---|---|

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

उक्त वर्णित आराजी के खातेदार नारायण सिंह की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 1219 तन दूजोद पटवारी हल्का ने नारायणसिंह मृतक के सभी वारिसान अर्थात् प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रताप कंवर बेवाह गुमानसिंह पुत्र व रतन कंवर, मनोहर कंवर, संतोष कंवर पुत्रियां अर्थात् प्रार्थीगण के पक्ष में भरा व गिरदावर हल्का ने बाद जांच अंकन सही की रिपोर्ट की परन्तु तत्कालीन सरपंच बंशीधर ने अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में आकर व उसे अन्यथा फायदा पहुंचाने की गरज से नामान्तकरण संख्या 1219 को प्रताप कंवर व गुमानसिंह के हक में स्वीकार करने की आज्ञा पारित कर दी जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है व उक्त नामान्तकरण निम्न कारणों से अवैध व प्रभावशून्य है– (क) विवादित आराजी के खातेदार मृतक नारायणसिंह के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रथम श्रेणी के वारिसान है व पटवारी हल्का ने बाद जांच उनके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1219 भरा व गिरदावर हल्का द्वारा बाद जांच अंकन सही पाया ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच महोदय अप्रार्थी सं. 1 के प्रभाव में आकर विधि विरुद्ध बिना किसी कारण के ही प्रार्थीगण को छोडकर अकेले गुमानसिंह पुत्र व प्रताप कंवर बेवाह के हक में नामान्तकरण स्वीकार करने की आज्ञा विधि विरूद्ध पारित की है जो कतई स्थिर रहने योग्य नही है। (ख) मृतक नारायणसिंह की प्रार्थीगण जायदा पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान को बराबर हक अधिकार होते हुए भी ग्राम पंचायत ने अकेले अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के हक में नामान्तरकरण विधि विरुद्ध स्वीकार किया है, जो आज्ञा कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। (ग) ग्राम पंचायत ने आज्ञा पारित करने से पूर्व कब्जे व अधिकार की जांच किए बिना ही अपनी आज्ञा पारित की है, जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। उक्त वर्णित आराजी मृतक नारायणसिंह के खाते कब्जे काश्त की भूमि है व उसकी मृत्यु पर विरासतन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 काबिज काश्त होकर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 गुमानसिंह बदमाश व चालाक किस्म का व्यक्ति है, जिसने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच से साज कर विरासत का नामान्तरकरण सं. 1219 ग्राम दूजोद अपने व अप्रार्थी सं. 2 के हक में स्वीकार करवा लिया व अब पैतृक संपदा को अकेला हड़प करने की नियत रखता है व अप्रार्थी सं. 1 व उसकी पत्नी जो झगड़ालू व बदमाश किस्म की है अप्रार्थी संख्या 2 को भी डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर रखा है प्रार्थीगण दिनांक 30.03.2022 को अपने ग्राम व विवादित आराजी को संभाल करने व अपनी माता से मिलने आयी हुई थी तो अप्रार्थी संख्या । व उसकी स्त्री संजू कंवर ने प्रार्थीगण को कहा कि न तो भविष्य में मेरे घर आवोगी व ना ही मैं आपको विवादित आराजी में घुसने दूंगा व धमकी दी कि आपका विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नही है विवादित आराजी की खातेदारी मैने व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम करवा ली है व अब तुम्हारा यहां कोई लेना देना नही है जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के विवादित आराजी में अधिकार होनेसे इंकार करने पर ही प्रार्थीगण को दावा उद्घोषणा करना आवश्यक हुआ। उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी अकेले अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के हक में अंकित होने व अप्रार्थी सं. 2 को भी अप्रार्थी सं. 1 डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर रखा है व अप्रार्थी सं. 1 बुरी आदतों का शिकार है व विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने की नियत से विवादित आराजी को विक्रय रहन व अन्य तरीके से स्थानान्तरित करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी अपने इस कुउदेश्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण की असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना कतई संभव न होगा। अतः उन्हें जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला सुदृढ़ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण की होती है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि तादौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा सं. 997 वाके ग्राम दूजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने कराने व विवादित भूमि को विक्रय रहन व अन्य तरीके से स्थानान्तरित करने से बाज रहें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।"

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री प्रभातीलाल, एड. ने मदवार जवाब विशेष कथन सहित पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि " वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है परन्तु वादीगण/प्रार्थीगण को सफलता की आशा करना दुराशा मात्र है। मद सं. 2 में अंकित कृषि भूमि खसरा सं. 997 रकबा 0.6700 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित होने का कथन सही होने से स्वीकार है। मद सं. 3 में अंकित कथन की कि नारायण सिंह की मृत्यु दिनांक 20.12.2009 को होने का कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि पर नारायण सिंह की मृत्यु के बाद जवाबदाता अप्रार्थी सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मद सं. 4 वशांवली से सम्बन्धित है, जो सही होने से स्वीकार है। मद सं. 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, वादीगण स्वयं सिद्ध करें। मद सं. 5(क) में अंकित कथन जानकारी के अभाव में पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है, वादिया स्वयं सिद्ध करें। मद सं. 5(ख) में अंकित कथन जानकारी के अभाव में पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है, वादिया स्वयं सिद्ध करें। मद सं. 5(ग) में अंकित कथन जानकारी के अभाव में पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि पर प्रारम्भ से ही जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 1 व 2 का ही कब्जा था तथा वे ही आज भी उक्त कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। मद सं. 6 में अंकित कथन पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 1 सीधा-साधा भोला-भाला व्यक्ति है, जो प्राईवेट कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करता है तथा जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 2 एक वृद्ध महिला है, जो अपने पुत्र पर ही आश्रित है तथा वह अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 1/जवाबदाता के पास रहकर अपना जीवनयापर कर रही है। अप्रार्थी सं. 1 ही अपनी मां के सेवा सुश्रुषा, खान पान, चिकित्सा की व्यवस्था करता है। वादीगण के मन में बेईमानी आ गई, जिसके चलते उन्होनें झूठ के आधार पर उक्त दावा पेश किया है, जो प्रारम्भ से ही खारिज होने योग्य है। मद सं. 7 में अंकित कथन पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। जवाबदाता सं. 1 एक शांतिप्रिय मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जो मजदूरी कर अपना, अपनी माता व अपने परिवार का भरण-पोषण क[illegible] कथन पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं स[illegible] सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर जवाबदातागण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति [illegible] र्थीगण को न होकर जवाबदाता हो ही हो रही है। मद सं. 9 कानू[illegible] नहीं है। विशेष कथन के अनुसार- अप्रार्थी सं. 1 ने वादीगण [illegible] अन्य सामाजिक रीति रिवाजों में आज दिन तक सम्पूर्ण खर्चा वहन किया है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता/पति नारायण सिंह की मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

तथा वादिया ने प्रारम्भ से ही मौखिक रूप से उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का ही हक व अधिकार माना है। लेकिन वर्तमान में कृषि भूमियों की कीमते बढ़ जाने के कारण उनके मन में बेईमानी आने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 को हैरान–परेशान करने की गरज उक्त कृषि भूमि को हड़प कर भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही वादीगण की मानसिक स्थिति उपरोक्त कृषि भूमि को भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को विक्रय करने की बनी हुई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज फरमाया जावें।''

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी. आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

<u>(A) प्रथम दृष्ट्या मामला–</u> पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाके ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 997 में वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन से संबंधित मूल वाद में वर्णित आराजियात में अपने आपको नारायण सिंह के वारिसान बताये जाकर उक्त के संबंध में उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है और साथ ही हस्तगत आवेदन में वादीगण/प्रार्थीगण ने वर्णित जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदारान अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का मुख्य अनुतोष चाहा है। जबकि प्रकरण में मुख्य आपत्तिकर्ता अर्थात् वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने उक्त आवेदन के तथ्यों का खंडन करते हुये अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में उक्त वर्णित आराजियात के बाबत वर्णित खसरा वर्तमान में उनके नाम दर्ज होना बताया है। उक्त वर्णित विवादित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि प्रकरण की इस स्टेज पर यदि वर्णित आराजी के संबंध में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो वाद बहुलता अप्रार्थीगणों को होगी। इसलिए प्रकरण की इस स्टेज पर प्रार्थीगण/वादीगण का हस्तगत आवेदन अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि पेश नहीं किये हैं, जिससे उनके टी.आई आवेदन का पक्ष मजबूत हों। बिना किसी ठोस कारण तथा दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि के हस्तगत आवेदन मूल वाद के साथ तथा टी.आई. आवेदन दायर किया, जिस कारण अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की मंशा जाहिर होती है। इसलिए प्रार्थीगण/वादीगण का विवादित भूमियों में प्रथम दृष्ट्या [illegible] उक्त स्थिति के आलोक में तथ्यों के अनुसार विवादित भूमियों में प्रार्थीगण/[illegible] का मामला भी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है।

<u>(B) सुविधा का संतुलन–</u> प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

**(C) अपूरणीय क्षति–** अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारान दर्ज है। इसलिए यदि रिकॉर्डेड खातेदारान के विरूद्ध इस स्टेज पर कोई टी.आई. जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यह बिंदु भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested